न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईलास श्रीमती पुष्पाहरवानी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 15 / 19 दावा 2019 / 00007 **निर्णय दिनांक 13.08.2019**

बउनवान

1. राजेश कुमार पुत्र गोपाल जाति खाती निवासी कनवास।
2. सम्पराज पुत्र गोपाल जाति खाती निवासी कनवास।
3. रामदयाल पुत्र गोपाल जाति खाती निवासी कनवास ।
4. दुर्गेश कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति खाती निवासी कनवास।
5. हरिश कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति खाती निवासी कनवास।
6. कुसुमलता पुत्री बद्रीलाल जाति खाती निवासी कनवास।
7. पूजा पुत्री बद्रीलाल जाति खाती निवासी कनवास।
8. मनभरता पत्नि बद्रीलाल जाति खाती निवासी कनवास।
9. अरविन्द पुत्र गोरधन जाति खाती निवासी कनवास।
10. रिंकू पुत्री गोरधन जाति खाती निवासी कनवास।
11. नन्दकंवर पत्नि गोरधन जाति खाती निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा।

वादनी

बनाम

1. गोपाल पुत्र रत्तीराम जाति खाती निवासी कनवास तहसील कनवास।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादीगण की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 01 की ओर से बद्रीलाल मेरोठा एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 02 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर.टी.एक्ट वास्ते घोषणा खातेदारी हक एवं विभाजन आराजी

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,53 आर.टी.एक्ट वास्ते घोषणा खातेदारी हक एवं विभाजन आराजी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी नबंर 01 गोपाल एक ही वंशज के पिता–पुत्र व मृतक पुत्र के वारिसान हैं, जिनका सजरा निम्न प्रकार है:–

रत्तीराम उर्फ रत्या पुत्र घांसी

↓

गोपाल

बद्रीलाल (मृतक पुत्र)	रामदयाल (पुत्र)	सम्पतराज (पुत्र)	राजेश (पुत्र)	गारेधन (मृतक पुत्र)	पुत्री (नंही है)	पत्नि (मृतक)

बद्रीलाल (मृतक पुत्र) ↓

1. दुर्गेश (पुत्र)
2. हरीश (पुत्र)
3. कुसुमलता (पुत्री)
4. पूजा (पुत्री)
5. मनभरता (पत्नि)

गारेधन (मृतक पुत्र) ↓

1. अरविन्द (पुत्र)
2. रिकूं (पुत्री)
3. नंदकंवर (पत्नि)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

यह कि गोपाल के खाते में ग्राम कनवास मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 103 में खसरा नबंर 1217 की रकबा 0.38 है0 नहरी, खसरा नंबर 1220 की रकबा 1.44 है0 नहरी, खसरा नबंर 1251 की रकबा 3.19 है0 नहरी, खसरा नबंर 1436 की रकबा 1.64 है0 नहरी, खसरा नबंर 1641 की रकबा1.64 हे0 नहरी, खसरा नबंर 1870 की रकबा 1.62 है0 नहरी, खसरा नबंर 1942 की रकबा 0.17 है0 चाही प्रथम कुल खसरा किता 07 की रकबा 10.08 है0, कृषि भूमि स्थित है। जो गोपाल के खाते में दर्ज है, जो गोपाल की पैतृक सम्पत्ति है और गोपाल को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त आराजी गोपाल की पैतृक सम्पत्ति होने से उक्त आराजी में गोपाल की जीवनकाल में ही गोपाल के सभी पुत्रों को जन्म–जात अधिकार प्राप्त हो गये हैं, तथा गोपाल के साथ–साथ गोपाल के सभी पुत्र उक्त आराजी में बराबर–बराबर के हकदार हैं तथा मृतक पुत्र के वारिसान भी अपने पिता के हिस्से के हकदार होकर आराजी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपरोक्त आराजी में गोपाल के साथ–साथ उनके तीनों जीवित पुत्र वादीक्रम 01 लगायत 03 तथा मृतक पुत्र बद्रीलाल के वारिसान वादी क्रम 04 लगायत 08 तथा मृतक पुत्र गोरधन के वारिसान वादीक्रम 09 लगायत 11 का समान हक होने से वादी क्रम 01, 02 , 03 प्रत्येक अपना 1/6, –1/6,– 1/6 हिस्सा तथा वादी क्रम 04 लगायत 08 संयुक्त रूप से अपने मृतक पिता बद्रीलाल का 1/6 हिस्सा तथा वादी क्रम 09 लगायत 11 संयुक्त रूप से अपने मृतक पिता गोरधन का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 01 गोपाल का 1/6 हिस्सा की खातेदारी हक घोषणा एवं विभाजन कराने के अधिकारी हैं। इस हेतु वादीगण ने प्रतिवादी नबंर 02 के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तो उन्होनें माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, इसलिये यह वाद प्रस्तुत है।

उपरोक्त वाद में गोपाल को प्रतिवादी नबंर 01 तथा लेण्डहोल्डर होने से तहसील को प्रतिवादी नबंर 02 पक्षकार बनाया गया है।

वादीगण वाद पेश कर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व हक घोषणा खातेदारी की डिक्री पारित फरमाने की प्रार्थना कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पेरा नबंर 02 में वर्णित ग्राम कनवास की खाता संख्या 103 में स्थित खसरा नबंर 1217 की रकबा 0.38 है0 नहरी, खसरा नंबर 1220 की रकबा 1.44 है0 नहरी, खसरा नबंर 1251 की रकबा 3.19 है0 नहरी, खसरा नबंर 1436 की रकबा 1.64 है0 नहरी, खसरा नबंर 1641 की रकबा1.64 हे0 नहरी, खसरा नबंर 1870 की रकबा 1.62 है0 नहरी, खसरा नबंर 1942 की रकबा 0.17 है0 चाही प्रथम कुल खसरा किता 07 की रकबा 10.08 है0, कृषि भूमि में वादी क्रम 01 का 1/6 हिस्सा वादीक्रम 02 का 1/6 हिस्सा वादीक्रम 03 का 1/6 हिस्सा वादीक्रम 04 लगायत 08 का 1/6 हिस्सा वादीक्रम 09 लगायत 11 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी नबंर 01 का 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे तथा उपरोक्त आराजी का उक्तानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाता दर्ज किया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलवी जारी की गई। प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा दिनांक 09.05.19 को न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा प्रतिवादी नबंर 01 की ओर से 10.06.2019 को वकालत नामा एवं जवाब दावा जर्ये एडवोकेट बद्रीलाल मेरोठा द्वारा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली जवाब–सरकार में नियत की गई दिनांक 11.06.2019 को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। न्यायालय में पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई, राजीनामा पक्षकारों को पढकर सुनाया एवं समझाया गया, पक्षकारों द्वारा राजीनामा उनके द्वारा लिखवाया जाकर सही व सत्य होना मानकर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री करने में अपने सहमति दी। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में दिनांक 09.07.2019 को जवाब सरकार व दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। एवं बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध प्रतिवादीगण का जवाब व राजीनामा व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया,वादीगण का वाद डिक्री योग्य पाये जाने पर वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा दिनांक 11.06.2019 अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा ग्राम कनवास की खाता संख्या 103 में स्थित खसरा नबंर 1217 की रकबा 0.38 है0 नहरी, खसरा नंबर 1220 की रकबा 1.44 है0 नहरी, खसरा नबंर 1251 की रकबा 3.19 है0 नहरी, खसरा नबंर 1436 की रकबा

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

1.64 है0 नहरी, खसरा नबंर 1641 की रकबा1.64 हे0 नहरी, खसरा नबंर 1870 की रकबा 1.62 हे0 नहरी, खसरा नबंर 1942 की रकबा 0.17 है0 चाही प्रथम कुल खसरा किता 07 की रकबा 10.08 है0 में वादी क्रम 01 को 1/6 वादी क्रम 02 को 1/6 वादी क्रम 03 को 1/6 वादीक्रम 04 लगायत 08 को 1/6 तथा वादीक्रम 09 लगायत 11 को 1/6 तथा प्रतिवादी क्रम 01 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा हक घोषणा की डिक्री पारित की जाती है तथा विभाजन की डिक्री भी पारित की जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम कनवास की आराजी खसरा नबंर 1436 की 1.64 है0, सम्पूर्ण रकबा किस्म नहरी वादीक्रम 02 सम्पतराज के खाते पृथक से दर्ज की जावे। खसरा नबंर 1220 की 1. 44 हे0, सम्पूर्ण रकबा किस्म नहरी वादी क्रम 03 रामदयाल के खाते पृथक से दर्ज की जावे। खसरा नबंर 1641 की 1. 64 है0, सम्पूर्ण रकबा किस्म नहरी खसरा नबंर 1217 की 0.38 हे0, सम्पूर्ण रकबा किस्म नहरी कुल 02 किता की 2.02 है0, आराजी वादीगण क्रम 04 लगायत 08 दुर्गेश कुमार, हरिश कुमार, कुसुमलता, पूजा व मनभरता के खाते पृथक से दर्ज की जावे। खसरा नबंर 1870 की 1.62 हे0, आराजी सम्पूर्ण रकबा वादीक्रम 09 लगायत 11 अरविन्द, रिंकू, व नंदकंवर के खाते पृथक से दर्ज की जावे। खसरा नबंर 1251 की 3.19 हे0, आराजी सम्पूर्ण रकबा वादीक्रम 01 राजेश कुमार व प्रतिवादीक्रम 01 गोपाल के संयुक्त खाते में हिस्सा बराबर –बराबर दर्ज किया जावे। खसरा नबंर 1942 की 0.17 हे0, आराजी सम्पूर्ण रकबा में सभी वादीगण व प्रतिवादीक्रम 01 का नाम संयुक्त रूप से दर्ज रहेगा। उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। तथा मुताबिक डिक्री खाता विभाजन हेतु तहरीर पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

बउनवान

1. राजेश कुमार पुत्र गोपाल जाति खाती निवासी कनवास।
2. सम्पराज पुत्र गोपाल जाति खाती निवासी कनवास।
3. रामदयाल पुत्र गोपाल जाति खाती निवासी कनवास ।
4. दुर्गेश कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति खाती निवासी कनवास।
5. हरिश कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति खाती निवासी कनवास।
6. कुसुमलता पुत्री बद्रीलाल जाति खाती निवासी कनवास।
7. पूजा पुत्री बद्रीलाल जाति खाती निवासी कनवास।
8. मनभरता पत्नि बद्रीलाल जाति खाती निवासी कनवास।
9. अरविन्द पुत्र गोरधन जाति खाती निवासी कनवास।
10. रिंकू पुत्री गोरधन जाति खाती निवासी कनवास।
11. नन्दकंवर पत्नि गोरधन जाति खाती निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र रत्तीराम जाति खाती निवासी कनवास तहसील कनवास।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **15/19** तारीख फैसला **13.08.2019 न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया वादीगण** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी नं. 1 की ओर से बद्रीलाल मेरोझ व प्रतिवादी नंबर 02 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा दिनांक 11.06.2019 अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा ग्राम कनवास की खाता संख्या 103 में स्थित खसरा नबंर 1217 की रकबा 0.38 है0 नहरी, खसरा नंबर 1220 की रकबा 1.44 है0 नहरी, खसरा नबंर 1251 की रकबा 3.19 है0 नहरी, खसरा नबंर 1436 की रकबा 1.64 है0 नहरी, खसरा नबंर 1641 की रकबा1.64 हे0 नहरी, खसरा नबंर 1870 की रकबा 1.62 है0 नहरी, खसरा नबंर 1942 की रकबा 0.17 है0 चाही प्रथम कुल खसरा किता 07 की रकबा 10.08 है0 में वादी क्रम 01 को 1/6 वादी क्रम 02 को 1/6 वादी क्रम 03 को 1/6 वादीक्रम 04 लगायत 08 को 1/6 तथा वादीक्रम 09 लगायत 11 को 1/6 तथा प्रतिवादी क्रम 01 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा हक घोषणा की डिक्री पारित की जाती है तथा विभाजन की डिक्री भी पारित की जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम कनवास की आराजी खसरा नबंर 1436 की 1.64 है0, सम्पूर्ण रकबा किस्म नहरी वादीक्रम 02 सम्पतराज के खाते पृथक से दर्ज की जावे। खसरा नबंर 1220 की 1. 44 हे0, सम्पूर्ण रकबा किस्म नहरी वादी क्रम 03 रामदयाल के खाते पृथक से दर्ज की जावे। खसरा नबंर 1641 की 1. 64 है0, सम्पूर्ण रकबा किस्म नहरी खसरा नबंर 1217 की 0.38 हे0, सम्पूर्ण रकबा किस्म नहरी कुल 02 किता की 2.02 है0, आराजी वादीगण क्रम 04 लगायत 08 दुर्गेश कुमार, हरिश कुमार, कुसुमलता, पूजा व मनभरता के खाते पृथक से दर्ज की जावे। खसरा नबंर 1870 की 1.62 हे0, आराजी सम्पूर्ण रकबा वादीक्रम 09 लगायत 11 अरविन्द, रिंकू, व नंदकंवर के खाते पृथक से दर्ज की जावे। खसरा नबंर 1251 की 3.19 हे0, आराजी सम्पूर्ण रकबा वादीक्रम 01 राजेश कुमार व प्रतिवादीक्रम 01 गोपाल के संयुक्त खाते में हिस्सा बराबर –बराबर दर्ज किया जावे। खसरा नबंर 1942 की 0.17 हे0, आराजी सम्पूर्ण रकबा में सभी वादीगण व प्रतिवादीक्रम 01 का नाम संयुक्त रूप से दर्ज रहेगा। **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **13.08.2019 माह अगस्त 2019** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ''''	----------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा ''''	----------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा ''''			स्टाम्प अर्जी ''''		
स्टाम्प वजह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
महनताना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
खर्चा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
फीस कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा ''''		
बाबत इजराय हुकमनामा ''''			मुतफर्रिक ''''		
मुतफर्रिक ''''			मीजान ''''		
मीजान ''''					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

पुष्पा हरवानी (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास